# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

(10)

**अपील(सू.का.अ)संख्या 30/2022** बउनवानी जसराज बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
पुत्र श्री सम्पत, निवासी चिरौली की ढाणी तहसील गंगापुर सिटी
**GCMS No-2022/26**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज |
|---|---|
| **30.3.2022** | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 21.1.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—<br><br>1. दिनांक 12.11.2021 को जरिये डाक से उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को एक प्रार्थना पत्र भेजा उसकी डाक रसीद संख्या RR 411137544 IN , IXR 8282411137544 भेजे गये प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि व आपके द्वारा उस प्रार्थना पत्र में क्या कार्यवाही की गयी उसकी लिखित सूचना चाहिए।<br><br>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।<br><br>नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः आरटीआई/2022/6 दिनांक 28.3.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.11.2021 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना के लिए उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक आरटीआई/2022/4 दिनांक 7.2.2022 द्वारा शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा जाने पर प्रार्थी द्वारा शुल्क राशि जमा करवाकर अपनी सूचना प्राप्त की ली गयी है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उसको उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।<br><br>पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.1.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना ,लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के जवाब अनुसार अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.11.2021 पर की गयी कार्यवाही (आयुक्त नगर परिषद एवं अधिशाषी अभियंता,सा0नि0.वि0,गंगापुर सिटी को लिखे गये पत्र कमांक 776—77 दिनांक 23.11.21 एवं स्मरण पत्र कमांक 57—58 दिनांक 27.1.2022 की प्रति) अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक 57—58 दिनांक 27.1.2022 [illegible] त्र दिनांक 12.11.2021 पर की गयी आगामी कार्यवाही की सूचना अपीलान्ट आयुक्त [illegible] द एवं अधिशाषी अभियंता, सा0नि0विभाग गंगापुर सिटी के कार्यालय [illegible] प्राप्त कर सकत [illegible] इस प्रकार उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय मे उपलब्ध [illegible] करवायी जा [illegible] है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज [illegible] फैसल शुमार होकर [illegible] कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।<br><br>(सुरेश कुमार ओला)<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर |

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:18:47 IST
Reason: SelfAttested